

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक 5670/12-1, गोपेश्वर,

दिनांक

13/06/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषय:- जनपद चमोली में नारायणबगड़ चोपता मोटर मार्ग से पैठानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 839/36 सी० दिनांक 1.06.2022.

महोदय,

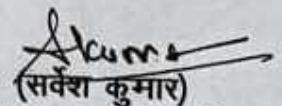
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में नारायणबगड़ चोपता मोटर मार्ग से पैठानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं० 08व/यू०सी०पी०/०६/८२/२०२१/एफ०सी०/२२८ दिनांक 17.05.2022 से सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि की मांग पत्र हेतु लिखा है, इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित है:-

1- शर्त सं० 3(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 3.166 है० गैर वानिकी भूमि ग्राम सूया सिविल खसरा नं० 2083एम में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं० 29/3-5-2 दिनांक 2.07.2021 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2022-23 के लिये निर्धारित दर रू० 4,07,992.00 के अनुसार 3.166 है० x रू० 4,07,992.00 = रू० 1291702.67 या रू० 1291703.00 मात्र जमा की जानी है।

2. शर्त सं० 05(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं० 5-3/2011-एफ०सी०(VOI-I) दिनांक 06.01.2022 से संशोधित एन०पी०वी० की दर के अनुसार देय 1.583 है० प्रति दर रू० 10,05,210 = रू० 1591247.43 जमा की जानी है।

अतः आप एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल धनराशि रू० 2882950.43 ऑनलाईन चालान के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा में जमा करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्तों की अनुपालन आख्या ऑनलाईन एवं ऑफ लाईन चार प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे ताकि प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,


(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

देहरादून X
सूचनाार्थ

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उपरोक्तानुसार सूचनाार्थ प्रेषित।

ABJ/Ameeary


29/6

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर